न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2018 / 00097 / 223

1. श्रीमती हगाम पुत्री स्व0 नाथू, जाति माली, निवासी ग्राम जूनिया, तहसील हाल मुकाम केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. कानी पुत्री स्व0 नाथू, जाति माली, निवासी ग्राम केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. धापू पत्नी रंगलाल, जाति माली, निवासी ग्राम केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. रघुनाथ पुत्र स्व0 नाथू, जाति माली, निवासी ग्राम केकड़ी, तह0 केकडी जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, केकड़ी उप पंजीयन कार्यालय, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 16.4.2018 अंतर्गत वाद संख्या 83 / 2015.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राकेश अरोड़ा एवं श्री बृजकिशोर, वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 15.01.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.4.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण / अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 92—ए एवं 188 व धारा 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा जंगल केकड़ी में अवस्थित आराजी खेत खतौनी संख्या नये 2020 पुराने 1833, खसरा नंबर 2515 रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 2516 रकबा 0.34 है0, जिसके पुराने खसरा नंबर 5406 रकबा 0.35 है0 एवं खसरा नंबर 5406 रकबा 0.34 है0 अवस्थित है । उपरोक्त भूमि अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 2 रघुनाथ पुत्र स्व0 नाथू की पुश्तैनी आराजियात है जिसका आज दिनांक कोई बंटवारा नहीं हुआ है एवं संयुक्त रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 रघुनाथ काबिज काश्त

चले आ रहे है । उपरोक्त आराजियात जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में वादीगण/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 के पिता नाथू पुत्र लालू कौम माली के नाम दर्ज थी । रेस्पो0/प्रतिवादी रघुनाथ ने राजस्व विभाग से सांठ–गांठ करके अकेले अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली । इसलिये वादीगण को उपरोक्त विवादित भूमि में स्व0 नाथू की जायंदा लड़कियों होने से उनका भी उपरोक्त भूमियों में 1/3 हिस्सा व अधिकार बनता है । इसलिये वादीगण का वाद स्वीकार कर उपरोक्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा घोषित किया जावे तथा बंटवारा की डिक्री पारित की जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 1 धापू द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर धापू को वाद में पक्षकार नियुक्त किया गया । तत्पश्चात् धापू द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2516 रकबा 0.34 है0 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 15.9.2004 को क्रय कर ली है एवं वादीगण के पिता नाथू पुत्र लालू का स्वर्गवास वर्ष 2005 से पूर्व हो चुका है इसलिये पुत्रियों को पिता की सम्पति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निर्णय दिनांक 16.4.2018 द्वारा स्वीकार कर वादीगण का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अंसतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर ध्यान नही दिया कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है । हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1.2.2018 को पारित निर्णय सिविल अपील नंबर 188–189/2018 उनवान प्रकाश बनाम फूलवती में पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि विपक्षी धापू द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाबदावा दिनांक 23.12. 2015 को ही प्रस्तुत कर दिया गया था व उपरोक्त सभी तथ्य जो आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में अंकित है । ऐसी स्थिति में जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरांत उपरोक्त बिन्दुओं पर तनकी कायम कर प्रत्येक तनकी पर साक्ष्य ली जाकर निर्णय पारित किया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य था परन्तु अधी0न्याया0 ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना वादीगण के वाद की ट्रॉयल किए अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । विवादित आराजी पैतृक सम्पति है या नहीं उक्त बिन्दु साक्ष्य व सबूत का मिश्रित प्रश्न होने से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद को निर्णित नहीं किया जा सकता है । हिन्दू उत्त्राधिकारी अधि0 1956 की धारा 6 के अनुसार वादीगण स्व0 नाथू की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से व भूमि पैतृक होने से पुत्रियों का विवादित आराजी में हित निहित होने से पुत्रियों द्वारा प्रस्तुत वाद को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज नही किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विपक्षी द्वारा तथाकथित पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती धापूदेवी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ न ही विपक्षी धापूदेवी का कोई कब्जा काश्त विवादित आराजी पर है । इसलिये विपक्षी धापूदेवी को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करन का कोई विधिक अधिकार नही था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत वाद खारिज करने में गंभीर त्रुटि कारित की

है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वाद को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 ने वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2516 रकबा 0.34 है0 भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.9.2004 को खातेदार रघुनाथ पुत्र स्व0 नाथू से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तब से विवादित भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है । वादी/अपीलांट ने वाद नाथू वल्द लालू के वारिसान होने के आधार पर वाद अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 9.4.2015 को पेश किया है जबकि नाथू वल्द लालू का देहांत दिनांक 2005 से पूर्व तथा वाद पेश करने से लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुका है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सिविल अपील संख्या 7217/2013 प्रकाश व अन्य बनाम फूलवती व अन्य में पारित निर्णय में यह पारित किया है कि 9 सितम्बर 2005 से पूर्व यदि हिन्दू परिवार के कर्ता (पिता) का देहांत हो जाने की स्थिति में पुत्रियों को पिता की सम्पति में कोई साम्पतिक हक व अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मान0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में वादी/अपीलांट को नाथू का देहांत सन् 2005 से पूर्व होने के कारण किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नही होता है । यह भी कथन किया कि वादिया/अपीलांट ने अपने वाद में पिता की मृत्यु की दिनांक अंकित नही की है । वादीया/अपीलांट ने रघुनाथ प्रतिवादी संख्या 1 से मिलीभगत कर वाद में पक्षकार नहीं बनाया है जो वादी एवं रघुनाथ की मिलीभगती को जाहिर करता है । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11–डी0 जा0दी0 की परिधि में आने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/वादिया द्वारा मौजा जंगल, तहसील केकड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर पुराने 5406 मिन रकबा 0.35 है0 खसरा नंबर 5406 मिन रकबा 0.34 है0 के नये खसरा नंबर 2515 रकबा 0.35 एवं 2516 रकबा 0.34 के संबंध में यह कथन करते हुए वाद पेश किया कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी भूमियां है जो जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नाथू वल्द लालू कौम माली के नाम दर्ज थी जिसमें वादिया संख्या 1 का 1/3, वादिया संख्या 2 का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा जन्म से निहित है परन्तु हाल राजस्व अभिलेख सवंत् 2069 से 2072 में विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली है जबकि वादियागण का 1/3, 1/3 हिस्सा सहिस्सेदार होने के कारण उनका नाम भी दर्ज होना चाहिये इस कारण यह घोषणात्मक वाद पेश किया गया है । प्रतिवादी संख्या 4 धापू देवी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने हेतु पेश किया गया जो अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 6.10.2015 को स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में संयोजित किया गया । प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 18.4.2015 को आदेश 7 नियम 11–डी जा0दी0 का प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया कि नाथू वल्द लालू का स्वर्गवास सन् 2005 से पूर्व हो चुका है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील नंबर 7217/2013 प्रकाश व अन्य बनाम फूलवती व अन्य में पारित निर्णय के अनुसार यदि दिनांक 9.9.2005 से पूर्व हिन्दू परिवार के कर्ता का देहांत होने की स्थिति में पुत्रियां पिता की सम्पति में कोई हक व अधिकार प्राप्त

नहीं कर सकेगी । उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में अधी0न्याया0 आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिया का वाद निरस्त किया है । वादिया द्वारा उक्त अधी0न्याया0 के निर्णय से असंतुष्ट होकर हस्तगत अपील पेश की है एवं अपीलांट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत 2020 (2) आर0आर0टी0 पेज 998 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य प्रस्तुत किया गया जिसके पैरा संख्या 129 के क्रम संख्या (II) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किः– The rights be claimed by the daughter born earlier with effect from 9-9-2005 with savings as provided in Section 6(1) as to the desposition or alienation, partition or testamentary disposition which taken place before 20th day of December, 2004. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में यदि पूर्व में जन्मी पुत्री 20.12.2004 के पूर्व निस्तारित अथवा अन्य संक्रमित अथवा विभाजित या वसीयत निस्तारित सम्पति में अधिकार का दावा कर सकती है–दिनांक 9.9.2005 को पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं है क्योंकि सहदायिक सम्पति में पुत्रियां भी सहदायी होने से समान हिस्से हेतु हकदार है । इस संबंध में बेनामा दिनांक 15.9.2004 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 रघुनाथ पुत्र नाथू द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती धापू पत्नि रंगलाल के पक्ष में खसरा नंबर 2516 रकबा 0.34 है0 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार विवादित भूमि रघुनाथ द्वारा श्रीमती धापू देवी को विक्रय किया जाना प्रतीत होता है । अपीलाधीन भूमि जमाबंदी संवत् 2017 से 2019 में खसरा नंबर 5406 रकबा 4–5–10 बीघा नाथू वल्द लालू कौम माली के नाम दर्ज होने का अंकन प्रतीत होता है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 5406 के नवीन खसरा नंबर 2515 एवं 2516 बनना प्रतीत होता है । अपीलांट का नाथू पुत्र लालू की पुत्रियां न हो इस संबंध में रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है । अधी0न्याया0 द्वारा बिना तनकियात कायम किये बिना साक्ष्य लिपिबद्ध किये बिना दस्तावेज को प्रदर्शित किये प्रारंभिक स्तर पर ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2020(2) आर0आर0टी0 पेज 998 के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवचेनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.4.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को जवाब, साक्ष्य, सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर